

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

// प्रारंभिक अधिसूचना //

क्रमांक / 01 / अ-82 / 2014-15

बालोद दिनांक 16 / 09 / 2015

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम 1 से 5 में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

// अनुसूची //


जिला	भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम / प.ह.न.	क्षेत्रफल हेक्ट.में			
			ख.न.	रकबा		
1	2	3	4	5	6	7
बालोद	गुण्डरदेही	कांदुल	78	0.11	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुण्डरदेही	कांदुल नाला पर पुल मय पहुंच मार्ग

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014, दिनांक 02 मार्च, 2015 के द्वारा अधिनियम, 2013 के अध्याय "दो" एवं "तीन" के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

5. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुण्डरदेही को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार


(राजेश सिंह सिपाही)

कलेक्टर एवं प्रदेन उप सचिव,


छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं

आपदा प्रबंधन विभाग बालोद(छ0ग0)

बालोद दिनांक 16/03/2015

पृ. क्रमांक/ 01 / अ-82/2014-15
प्रतिलिपि:-

1. नियंत्रक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
2. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी.जिला कार्यालय बालोद को उक्त सूचना उपयुक्त वेबसाईड में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
4. अधीक्षक, कार्यालय कलेक्टर बालोद को सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया पेपर प्रकाशन एवं राजपत्र प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करावें।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गुण्डरदेही को कार्यालयीन सूचना पटल में चस्पा हेतु अग्रेषित।
7. तहसीलदार, गुण्डरदेही को सूचना पटल में चस्पा हेतु अग्रेषित।
8. ग्राम पंचायत कांदुल को ग्राम में चस्पा हेतु अग्रेषित।


(राजेश सिंह सिपाही)

कलेक्टर एवं-प्रदेन उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं

आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद(छ0ग0)